An Analytical Study of the Functioning of Poverty Alleviation Schemes Under Government Schemes in the Panchayati Raj System of Janjgir-Champa District: with Special Reference to Malkharoda Janpad Panchayat

Dr.Pitambar Ray
Atal Bihari Vajpayee University Bilaspur

सारांश - प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से मालखरौदा जनपद पंचायत के संदर्भ में यह शोध विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी प्रभावशीलता और चुनौतियों का मूल्यांकन करता है

इस अध्ययन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की भूमिका का परीक्षण किया गया है

मुख्य शब्द: पंचायती राज, गरीबी उन्मूलन, जांजगीर-चांपा, मालखरौदा, सरकारी योजनाएँ, ग्रामीण विकास

1. प्रस्तावना

- अध्ययन की पृष्ठभूमिभारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई
- छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 में होने के बाद, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है
- जांजगीर-चांपा जिला, जो छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में स्थित है, में 9 जनपद पंचायतें और 576 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं
- ।गरीबी उन्मूलन भारतीय ग्रामीण विकास नीति का केंद्रीय उद्देश्य रहा है
- पंचायती राज संस्थाएँ इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों की पहचान, योजना निर्माण और निगरानी का कार्य करती हैं
- शोध की आवश्यकता एवं महत्वमालखरौदा जनपद पंचायत जांजगीर-चांपा जिले के प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में से एक है
- इस क्षेत्र में भूजल विकास का स्तर 70.79% है, जो जिले में सर्वाधिक है, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का संकेत देता है
- ऐसे परिदृश्य में गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक हो जाता है

- वर्तमान में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इनकी प्रभावशीलता का व्यवस्थित मूल्यांकन आवश्यक है
- यह शोध स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है

शोध के उद्देश्य

- जांजगीर-चांपा जिले में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना
- मालखरौदा जनपद पंचायत में संचालित गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान और विश्लेषण करना
- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तंत्र और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना
- योजनाओं की प्रभावशीलता और लाभार्थियों पर उनके प्रभाव का आकलन करना कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना
- सुधार के लिए सुझाव और नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना
- शोध पद्धतियह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है
- द्वितीयक आंकड़े सरकारी दस्तावेजों, प्रकाशित रिपोर्टों, शोध पत्रों और आधिकारिक वेबसाइटों से एकत्रित किए गए हैं

2.साहित्य समीक्षा

- पंचायती राज और ग्रामीण विकासछत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधित) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित है - ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं, जिनमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख हैं
- शोध अध्ययनों से पता चलता है कि पंचायती राज संस्थाएँ गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर समझती हैं और लाभार्थियों की पहचान में अधिक सक्षम होती हैं
- हालांकि, विभिन्न अध्ययनों में लाभार्थियों के चयन में पक्षपात, धन के दुरुपयोग और निगरानी की कमी जैसी समस्याओं का भी उल्लेख मिलता है
- छत्तीसगढ़ में गरीबी और विकासछत्तीसगढ़ राज्य के कई जिले अनुसूचित क्षेत्र V के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आदिवासी जनसंख्या अधिक है
- राज्य में ग्रामीण विकास का उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार लाना है
- नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया ताकि ग्रामीण वंचित वर्ग को लाभ पहुँचाया जा सके
- विश्व बैंक द्वारा समर्थित छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी परियोजना ने राज्य के सभी 16 जिलों में गरीब और वंचित वर्गों को लक्षित करते हुए सहभागी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू किया

3.जांजगीर-चांपा जिले का परिचय

- भौगोलिक और प्रशासनिक संरचनाजांजगीर-चांपा जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी
- यह जिला छत्तीसगढ़ के केंद्र में स्थित होने के कारण राज्य का हृदय स्थल माना जाता है
- जिला बिलासपुर संभाग का हिस्सा है और जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट इसके प्रमुख प्रशासक हैं
- प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 5 उप-विभागों, 10 तहसीलों, 232 पटवारी हल्कों, 9 पंचायत समितियों (जनपद पंचायतों), 576 ग्राम पंचायतों और 913 राजस्व ग्रामों में विभाजित किया गया है
- जांजगीर-चांपा जिले में सर्वाधिक 9 जनपद पंचायतें हैं
- आर्थिक और सामाजिक विशेषताएँजिले की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है
- महानदी नदी का जलोढ़ मैदान जिले के एक बड़े भाग में फैला हुआ है हसदेव-बांगो परियोजना जिले में सिंचाई की प्रमुख सुविधा प्रदान करती है
- जिले में कुल सिंचित क्षेत्र 11,362 हेक्टेयर है
- औद्योगिक दृष्टि से अकलतरा ब्लॉक में स्थित लाफार्ज सीमेंट प्लांट, आरासमेटा जिले की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई है
- चंपा, अकलतरा, सिवरीनारायण और चन्दरपुर के आसपास निम्न श्रेणी के चूना पत्थर की खदानें सड़क और निर्माण सामग्री के लिए संचालित हैं
- मालखरौदा जनपद पंचायतमालखरौदा जांजगीर-चांपा जिले के प्रमुख ब्लॉकों में से एक है
- यह क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से रायगढ़ संरचना (बलुआ पत्थर) में स्थित है
- मालखरौदा ब्लॉक में भूजल विकास का स्तर 70.79% है, जो जिले में सर्वाधिक है और इसे अर्ध-संकटपूर्ण श्रेणी में रखा गया है
- जल प्रबंधन और जागरूकता कार्यक्रम के तहत मालखरौदा में 15 फरवरी 2002 को व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था
- एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत मालखरौदा ब्लॉक में परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं !

4.गरीबी उन्मूलन योजनाओं का विवरण

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)मनरेगा 2005 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है जिसे 'जनता का कानून' कहा जाता है
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार प्रदान करना है
- कानून के अनुसार, कोई भी वयस्क जो न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल श्रम करने को इच्छुक है, उसे आवेदन के 15 दिनों के भीतर स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में रोजगार दिया जाना चाहिए !

योजना की विशेषताएँ:

- प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन की रोजगार गारंटी (केंद्र द्वारा)
- छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 50 दिन, कुल 150 दिन
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) परिवारों के लिए केंद्र द्वारा 150 दिन
- मांग आधारित कार्यक्रम
- जॉब कार्ड व्यवस्था

पंचायती राज की भूमिका:

- **ग्राम पंचायतें मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की पहचान, योजना निर्माण और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं**
- **श्रम बजट तैयार करना और लाभार्थियों को जॉब कार्ड जारी करना ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत का दायित्व है**

कार्य के प्रकार:

- **सामुदायिक अवसंरचना:**
- **आंगनवाड़ी, ग्रामीण संपर्क सड़कें वृक्षारोपण और तालाब निर्माण**
- **व्यक्तिगत कार्य: फार्म पॉन्ड, समतलीकरण, पशु शेड निर्माण**

प्रधानमंत्री आवास योजना-

- **ग्रामीण (PMAY-G)इंदिरा आवास योजना (IAY) को पुनर्गठित कर 1 अप्रैल 2016 से PMAY-G के रूप में लागू किया गया**
- **इस योजना का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है**
- **वित्तीय सहायता:मैदानी क्षेत्रों में** ₹1,20,000 (□□□□ ₹70,000 □□ □□□□□□)
- **पर्वतीय, कठिन क्षेत्रों और IAP जिलों में** ₹1,30,000 **(पहले** ₹75,000 □□ □□□□□□)
- **मनरेगा से 90/95 दिन का अकुशल श्रम**
- **अभिसरण लाभ:स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण**
- **पाइपलाइन द्वारा पेयजल कनेक्शन**
- **एलपीजी गैस कनेक्शन**
- **विद्युत कनेक्शन**

पंचायती राज की भूमिका:

- **ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं लाभार्थियों की पहचान और चयन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं**
- **PMAY-G के लाभार्थियों को योजना के विभिन्न पहलुओं पर ग्राम पंचायतें अभिविन्यास प्रदान करती हैं**
- **जिला पंचायत को सीधे बजट प्राप्त होता है और राज्य अपना हिस्सा अनुसार योगदान देता है**

ई-गवर्नेंस:

- **PMAY-G में कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी आवास सॉफ्ट और आवास ऐप के माध्यम से एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस मॉडल के द्वारा की जाती है**
- **सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में किए जाते हैं**
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 29 मार्च 2016 से दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित किया गया**
- **यह योजना जून 2011 में शुरू की गई थी और इसे विश्व बैंक सहायता प्राप्त है**
- **इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को मुख्यधारा में लाना और गरीबी उन्मूलन करना है**
- **संस्थागत संरचना:स्वयं सहायता समूह (SHG) - ग्राम स्तर**
- **ग्राम संगठन (VO) - ग्राम पंचायत स्तर**
- **क्लस्टर स्तरीय संघ (CLF) - क्लस्टर स्तर**

- **ब्लॉक स्तरीय संघ (BLF)**
- **मानव संसाधन:जिला परियोजना प्रबंधक (DPM)**
- **ब्लॉक परियोजना प्रबंधक (BPM)**
- **क्षेत्र समन्वयक**
- **व्यावसायिक संसाधन व्यक्ति (PRP) प्रत्येक CLF के लिए**
- **बैंक मित्र**
- **कृषि सखी, पशु सखी**
- **वित्तीय लाभ:परिक्रामी निधि (RF):** ₹15,000 **(एकमुश्त, 3 माह बाद) सामुदायिक निवेश कोष (CIF):** ₹60,000 (6 [illegible] [illegible], CLF [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] **ऋण: 6 माह बाद** ₹1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
- **3% सब्सिडी**
- **लखपति दीदी कार्यक्रम: परिवार की वार्षिक आय** ₹1 [illegible] [illegible] [illegible]

पंचायती राज की भूमिका:

- **पंचायती राज संस्थाएं और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (DRDA) कार्यक्रम के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं**
- **स्वयं सहायता समूहों को ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर संघबद्ध किया जाता है**
- **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 1999 में SGSY नामक ग्रामीण स्व-रोजगार योजना शुरू की**
- **यह योजना गरीबों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में विकास रणनीति में एक प्रतिमान बदलाव लेकर आई**
- **छत्तीसगढ़ में 14.28 लाख BPL परिवार हैं, जिनमें से SGSY के अंतर्गत अब तक 49,652 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं**
- **योजना की विशेषताएँ:ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना**
- **क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन**
- **प्रशिक्षण सहायता**
- **विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता**
- **ऋण संपर्क**

अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता

- **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)यह योजना स्व-लक्षित प्रकृति की है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और खतरनाक व्यवसायों से निकाले गए बच्चों के माता-पिता को मजदूरी रोजगार प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है**
- **योजना का क्रियान्वयन विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है**

कार्यान्वयन संरचना:

- **यह योजना दो धाराओं में लागू की गई थी**
- **पहली धारा: जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर (40:60 के अनुपात में)दूसरी धारा: ग्राम पंचायत स्तर पर (50% धनराशि और खाद्यान्न)2004-05 से इस कार्यक्रम को एक धारा में विलय कर दिया गया**
- **सभी तीन स्तर - जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत - कार्य योजना तैयार करने और योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र इकाई हैंअन्य महत्वपूर्ण योजनाएँसूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP):**
- **छत्तीसगढ़ के आठ जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है जो 29 ब्लॉकों में 21,801 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं**

- ब्लॉक पंचायत परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):

- ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):

- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन जैसी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं

5.मालखरौदा जनपद पंचायत में योजनाओं का कार्यान्वयन

- मनरेगा का कार्यान्वयन मालखरौदा जनपद पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य संचालित किए जा रहे हैं
- कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण फार्म पॉन्ड निर्माण, भूमि समतलीकरण और सिंचाई संरचनाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है
- भूजल विकास का उच्च स्तर (70.79%) होने के कारण जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है
- तालाब निर्माण, गहरीकरण और वृक्षारोपण जैसे कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं
- आवास योजनाओं का कार्यान्वयनPMAY-G के अंतर्गत मालखरौदा जनपद पंचायत में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को लक्षित किया जाता है
- SECC डेटा के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाती है और आवास सॉफ्ट में उनका पंजीकरण किया जाता है
- स्वच्छ भारत मिशन के साथ अभिसरण में शौचालय निर्माण और पेयजल सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है
- मनरेगा के साथ समन्वय में निर्माण कार्य के लिए श्रम उपलब्ध कराया जाता है
- आजीविका मिशन का कार्यान्वयनDAY-NRLM के अंतर्गत मालखरौदा जनपद पंचायत में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है
- इन समूहों को परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश कोष और बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है
- कृषि सखी कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है
- पशु सखी टीकाकरण और पशुपालन में सहायता प्रदान करती हैं
- लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं की वार्षिक आय को ₹1 ??? ?? ???? ???? ?? लक्ष्य है
- जल प्रबंधन और विकास कार्यक्रमएकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत मालखरौदा ब्लॉक में परियोजनाएं चल रही हैं
- भूजल के अर्ध-संकटपूर्ण स्तर को देखते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है
- हसदेव-बांगो परियोजना की नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं
- जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं

6.योजनाओं की प्रभावशीलता और उपलब्धियां

- **रोजगार सृजन मनरेगा के माध्यम से मालखरौदा जनपद पंचायत में हजारों ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं**
- **100-150 दिन की रोजगार गारंटी से परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है**
- **मांग आधारित योजना होने के कारण लोग आवश्यकता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं**
- **महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता देने से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिला है**
- **आवास सुविधा में सुधारPMAY-G के अंतर्गत हजारों परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं**
- **आवास के साथ शौचालय, पेयजल, विद्युत और गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभिसरण से जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है**
- **वित्तीय सहायता में वृद्धि (₹70,000 ₹1,20,000) ने लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता का आवास निर्माण करने में सक्षम बनाया है**
- **महिला सशक्तीकरणDAY-NRLM के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का व्यापक नेटवर्क स्थापित हुआ है**
- **इन समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया है**
- **परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश कोष से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकी हैं**
- **लखपति दीदी कार्यक्रम ने महिलाओं की आकांक्षाओं को नई दिशा दी है**
- **सामुदायिक अवसंरचना का विकासमनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना जैसे सड़कें, तालाब, आंगनवाड़ी भवन आदि का निर्माण हुआ है**
- **इससे न केवल रोजगार सृजन हुआ बल्कि समुदाय को दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं**
- **जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से कृषि उत्पादकता में सुधार की संभावना बढ़ी है**
- **वित्तीय समावेशनबैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है**
- **स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण की सुविधा से महिलाएं औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ी हैं**
- **बैंक मित्र कार्यक्रम ने दूरदराज के गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई हैं**
- **अष्टम अध्याय: चुनौतियां और समस्याएंलाभार्थी पहचान में समस्याएंविभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि लाभार्थियों की पहचान और चयन प्रक्रिया में पक्षपात की समस्या बनी रहती है**
- **ग्राम सरपंच और प्रभावशाली व्यक्ति इस प्रक्रिया पर हावी रहते हैं**
- **वास्तविक गरीबों की जगह कभी-कभी अन्य लोग लाभ प्राप्त कर लेते हैं**
- **SECC डेटा में त्रुटियां और अद्यतन न होना भी एक बड़ी समस्या है**
- **कई वास्तविक जरूरतमंद परिवार सूची से छूट जाते हैं**
- **ग्राम सभा की निष्क्रियताग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं या केवल औपचारिकता के लिए आयोजित की जाती हैं**
- **लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बैठक में नहीं बल्कि पहले से तय कर लिया जाता है**

- ग्राम सभा में महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी कम होती है
- सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है
- पंचायतों की कमजोर वित्तीय स्थितिसंवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं हो सकी है
- पचायतें मुख्यतः केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करती हैं, लेकिन उनके पास स्वयं के संसाधन सीमित हैं
- धन का समय पर आवंटन न होना और बजट की कमी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है
- तकनीकी और मानव संसाधन की कमीपंचायतों में प्रशिक्षित कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है
- ई-गवर्नेंस सिस्टम का उपयोग करने में कठिनाई होती है
- पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता है
- नए कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता का अभाव है
- योजनाओं का मूल्यांकन न होनापंचायतों की ओर से गरीबी विरोधी कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है
- योजनाओं की प्रभावशीलता और लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन नहीं होने से सुधार के अवसर चूक जाते हैं
- नीतियां ऊपर से निर्देशित होती हैं और स्थानीय जरूरतों के अनुकूल नहीं होती हैं फीडबैक तंत्र कमजोर है
- समन्वय की समस्याविभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी योजनाओं के अभिसरण में बाधा उत्पन्न करती है
- एक ही लाभार्थी को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में कठिनाई होती है पंचायती राज संस्थाओं और जिला प्रशासन के बीच स्पष्ट भूमिका विभाजन का अभाव है
- भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोगकुछ मामलों में योजनाओं के धन का दुरुपयोग होता है
- निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग और मजदूरी में कटौती जैसी समस्याएं देखी गई हैं
- DBT लागू होने से यह समस्या कम हुई है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है

7.सुझाव और सिफारिशें पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधारग्राम सभा को सशक्त बनाना आवश्यक है

- नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और सभी महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम सभा में लिए जाने चाहिए
- महिलाओं और वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए
- सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाया जाना चाहिए और इसके परिणामों पर कार्रवाई होनी चाहिए
- योजनाओं की सूचना को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षणपंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए

- ई-गवर्नेंस सिस्टम के उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए
- तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति ब्लॉक और जिला स्तर पर की जानी चाहिए।
- ग्राम स्तर पर पैरा-प्रोफेशनल्स का उपयोग किया जा सकता है
- वित्तीय स्वायत्तता पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए स्थानीय संसाधन जुटाने के प्रयास किए जाने चाहिए
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन होना चाहिए
- अनुदान का समय पर आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए
- लचीला बजट व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग किया जा सके
- बेहतर लाभार्थी पहचान तंत्रSECC डेटा को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए
- त्रुटियों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र मजबूत होना चाहिए
- लाभार्थी चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए
- ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से लाभार्थियों की घोषणा की जानी चाहिए
- योजनाओं का अभिसरणविभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए
- एक लाभार्थी को सभी उपयुक्त योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए
- PMAY-G, SBM-G, MGNREGA और अन्य योजनाओं के बीच प्रभावी अभिसरण से संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सकता है
- निगरानी और मूल्यांकनस्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन नियमित रूप से कराए जाने चाहिए
- योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति का वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए
- प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रियल-टाइम निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए
- MIS डेटा का विश्लेषण कर समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए
- स्थानीय योजना निर्माणग्राम पंचायतों को दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन योजना बनाने का अधिकार होना चाहिए
- स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के आधार पर कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए
- भागीदारीपूर्ण योजना निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
- समुदाय की प्राथमिकताओं को योजनाओं में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए
- दशम अध्याय: निष्कर्षपंचायती राज संस्थाएं गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं
- जांजगीर-चांपा जिले की मालखरौदा जनपद पंचायत में विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, PMAY-G, DAY-NRLM आदि के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं
- इन योजनाओं ने रोजगार सृजन, आवास सुविधा में सुधार, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

- **DBT और ई-गवर्नेंस के उपयोग से पारदर्शिता में सुधार हुआ है**
- **हालांकि, लाभार्थी पहचान में पक्षपात, ग्राम सभा की निष्क्रियता, वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी क्षमता का अभाव और योजनाओं के मूल्यांकन न होने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं**
- **विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी समस्या है**
- **इन चुनौतियों के समाधान के लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, नियमित प्रशिक्षण, बेहतर वित्तीय स्वायत्तता, प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना आवश्यक है**
- **यदि पंचायती राज संस्थाओं को उचित संसाधन, अधिकार और क्षमता प्रदान की जाए, तो वे गरीबी उन्मूलन में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं**
- **स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी और सुशासन से ही सतत विकास और समावेशी विकास संभव है**
- **मालखरौदा जनपद पंचायत के विशेष संदर्भ में, भूजल प्रबंधन, कृषि आधारित आजीविका और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है**
- **स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और समुदाय की सहभागिता से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है**

REFERENCES

[1] GIZ (Germany). Poverty Impact Assessment Report, Chhattisgarh. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. International Journal of Applied Social Science (2014).

[2] "Panchayati Raj Institutions in Rural Development." IJASS Online. Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh.

[3] Department of Panchayat and Rural Development - Programme Documents.

[4] Government of Chhattisgarh, Finance Department. Chapter 5 - Panchayat Raj in Chhattisgarh. Shukla, A. (2015). "Rural Development in Chhattisgarh.

[5] " Kilol.Jain, V. (2025). "Zila Panchayat - Government Programs and Implementation." Scribd.

[6] Panchayat Directorate, Government of Chhattisgarh.

[7] "About Us - Panchayat Directorate Chhattisgarh.

[8] " Retrieved from dpcg.cgstate.gov.in.World Bank Documents & Reports.

[9] Chhattisgarh District Rural Poverty Project - Tribal Development Strategy.

[10] The World Bank Group. Government Vocational College, Malkharoda.

[11] Self Study Report.

[12] GVC Malkharoda.Government of Chhattisgarh, Finance Department. Chapter 4 - Panchayati Raj Functions.

[13] CG Finance. Central Ground Water Board (2015). Aquifer Maps and Ground Water Management Plan of Janjgir-Champa District. Ministry of Water Resources, Government of India. Government of Chhattisgarh. "Malkharoda Tehsil - Administrative Information." Law Department, Government of Chhattisgarh. Central Ground Water Board. District Ground Water Brochure - Janjgir-Champa District, Chhattisgarh. Ministry of Water Resources, Government of India. Government of Chhattisgarh (2023). "The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005." District Administration, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur. Government of Chhattisgarh (2018). "Administrative Setup - Janjgir-Champa District." Official Website of Janjgir-Champa District. Integrated Watershed Management Programme (IWMP). "Project Reports - Janjgir-Champa District." IWMP MIS. Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG). "National Rural Livelihood Mission (NRLM)." Government of India. Ministry of MSME.

[14] Brief Industrial Profile of Janjgir-Champa District. DC-MSME, Government of India. Ministry of Rural Development. Framework for Implementation of Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin. Government of India. Government of India. "Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin.
[15] "myScheme Portal.Press Information Bureau. Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) - Guidelines. Government of India.Panchayat and Rural Development Department, Tripura. Problems Facing During Implementation of PMAY-G.Social Research Foundation. "Role of Panchayati Raj Institutions in Alleviation of Poverty in India." Academic Publication.
[16] Research Scholar (2020). "Emerging Role of Gram Panchayats in Poverty Alleviation.
[17] " Review of Research Journal. Government of Manipur (2021). "Pradhan Mantri Awas Yojna – Gramin (PMAY-G)." CM Dashboard, Manipur. Ministry of Finance, Government of India. "Poverty Alleviation Programmes
[18] ." India Budget Portal
[19] Testbook (2022). "Poverty Alleviation Programmes: A Critical Assessment." Educational Portal.